

क्रमांक : प.19(328)(1) महात्मा गांधी नरेस / 2017-18 / ३५५५

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेस), बाड़मेर

दिनांक : २३/५/१८

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश २८३३/२०१७-१८

राज्य सरकार के दिशा निर्देश क्रमांक : एफ४(५)शुक्र-३ / एनआरईजी / २००५ दिनांक १३.२.२००६ के अनुसरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी रक्कीम राजस्थान की वर्ष २०१५-२०१६ की जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्य योजना में से कार्यकारी विभाग / पंचायत समिति गडरारोड की ग्राम पंचायत रेडणा से ग्राम पंचायत रेडणा से ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अधिकारी द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति उनके सम्मुख अंकितअनुसार के आधार पर अधिकारी के द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति उनके सम्मुख अंकितअनुसार के आधार पर अधिकारी अभिकरण को गारंदिशिका एवं तकनीकी स्वीकृति के आधार तत्काल प्रारम्भ करवाकर निर्धारित कार्य में अवधि में कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

पंचायत समिति गडरारोड

क्र.सं	वा.का.यो.	कार्य का नाम	कार्यकारी एन्जेनी : ग्राम पंचायत रेडणा					स्वीकृति (लाखों में)					
			टांका	मेडबन्डी निर्माण कार्य	योग	व्यावित्सव लाघवारी हेतु एसटी/एसटी/ बीपीएल क	ग्राम पंचायत रेडणा	राजस्व ग्राम तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	वित्तीय स्वीकृति राशि	कार्य अवधि			
1	७५६	टांका निर्माण एवं मेडबन्डी निर्माण कार्य हिमथाराम / पूर्णमाराम के खेत में	०.९६	१.०४	२.००	लघु	रेडणा माझोली	७५६ १३.०६.२०१७	१.२०	०.८०	२.००	३ माह	
योग											१.२०	०.८०	२.००

उपरोक्त समरत कार्य निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन करवाये जावेंगे :-

- कार्यों के सम्पादन में राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में निर्देश सम्पदण्डों एवं भारत / सरकार से जारी निर्देशों की पालना की जावे।
- योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर मशीनों का प्रयोग प्रतिबन्धित है। अतः कोई भी ऐसा कार्य जो मजदूरों द्वारा सम्पादित किया जा सकता है, उसके लिए मशीन का प्रयोग नहीं किया जावे।
- अन्यथा सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेवार होगी।
- कार्य तकनीकी स्वीकृति तथा ग्रामीण कार्य निर्देशिका - 2015 के अनुसार किया जावेगा एवं सुनिश्चित करेंगे कि कार्य वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित है।
- कार्यों का क्रियान्वयन किसी भी रिक्ति में ठेकेदारों के माध्यम से अनुमत नहीं होगा।
- जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसरण में संबंधित पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति पृथक से जारी की जावेगी। इस स्वीकृति के उपरांत ही संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को इस कार्य के पेट मस्तोल, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी करने से पूर्व निजी निर्माण कार्यों के लिए जाति एवं बीपीएल चयनित क्रमांक का सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किसी भी नये कार्य को प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी करने से पूर्व अधिनियम के ग्रामवान अनुसार स्कीम के अन्तर्गत चालू कार्यों पर श्रमिकों को समायोजित करने की संभावना नहीं होने व न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों की संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरांत ही नवीन कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी की जावेगी।

5

दिनांक : २३/१८

प्र० ३२८)(१) महात्मा गांधी नरेस / २०१७-१८ / ३५५५

लाभार्थी के कार्य आदेश से पूर्व खसरा नम्बर / जमा बन्दी की नकल आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे। व्यक्तिगत लाभार्थियों के कार्यों का भौतिक सत्यापन कराये जावे। इन की कोटों कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व ग्राम्य में एवं कार्य की समाप्ति के उपरान्त आवश्यक रूप से ली जावे।

लाभार्थ के कार्यों में एवं कार्य की समाप्ति के उपरान्त आवश्यक रूप से ली जावे।

लाभार्थ जॉब कार्डधारी एवं परियोजना में कार्यरत होना आवश्यक है। लाभार्थ जॉब कार्डधारी एवं परियोजना में कार्यरत होना आवश्यक है।

उक्त श्रेणी के कार्यों में लाभार्थ के प्रत्येक कार्य पर सामग्री मद में कुल व्यय का 40 प्रतिशत से अधिक अनुमत नहीं है। लाभार्थ जॉब कार्डधारी एवं परियोजना में कार्यरत होना आवश्यक है। लाभार्थ जॉब कार्डधारी एवं परियोजना में कार्यरत होना आवश्यक है।

उक्त श्रेणी के कार्यों में लाभार्थ के प्रत्येक कार्य पर सामग्री मद में कोई राज्य कर्मचारी है तो उन्हें उक्त कार्य आरम्भ नहीं करवाया जावे।

40 ग्रेवल सड़क कार्य जहाँ खातेदारी भूमि में प्रस्तावित है, कार्य शुरू करने से पूर्व समझौता / सहमति पत्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर समर्पण की कार्यवाही की जावे, यदि कोई विवाद हो तो कार्य शुरू नहीं किया जावे।

(शिवप्रसाद एवं नकाते)

०/० जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं जिला कलेक्टर बाडमेर

दिनांक : २३/३/१८

क्रमांक : प.१९(३२८)(१) महात्मा गांधी नरेस / २०१७-१८ / ३५५६-५७

प्रतिलिपि :- जिन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

१. माननीया जिला प्रमुख, जिला परिषद, बाडमेर
२. माननीय सांसद, बाडमेर-जैसलमेर
३. श्री दिवानसभा हैवा,
४. उपर्खण्ड अधिकारी / ब्लॉक कोडिनेटर पर्यायत समिति
५. प्रधान पर्यायत समिति गडरारोड
६. कार्यक्रम अधिकारी / विकास अधिकारी पर्यायत समिति गडरारोड
७. आईईसी मेनेजर जिला परिषद, गडरारोड
- ८ सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बाडमेर।

(सुरेश कुमार दाधीच)

०/० अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेस, बाडमेर